

प्रेस नोट

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

Date- 06.07.2024

एसकेआरएयू वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" को अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी मिला डिजाइन पेटेंट

इससे पहले यूके से मिला था "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" मशीन को डिजाइन पेटेंट

'किसान अब अपने खेत में कम लागत से कर पाएंगे फसल अवशेष प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण से भी मिलेगी राहत बीकानेर, 6 जुलाई। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमीत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. पी. के. यादव को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एसकेआरएयू को बाजरा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था।

कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं। लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। लिहाजा कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अब पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी।

कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ पीके यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन लम्बे समय से देश में ज्वलंत समस्या बनी हुई है। जिसका विभिन्न प्रयासों के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेहद कम कीमत पर निर्मित मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है।

सह आचार्य डॉ वाई.के.सिंह ने बताया कि खुशी की बात है कि यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के कुछ ही समय बाद ही भारत सरकार ने भी डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) प्रदान कर दिया है। उन्होंने मशीन के कार्य करने को लेकर बताया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है। जो जैविक खाद में परिवर्तित होकर फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

सहायक आचार्य डॉ मनमीत कौर ने बताया कि कुलपति डॉ अरुण कुमार की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में विश्वविद्यालय को यूके और भारत सरकार से ये डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिला है। साथ ही बताया कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत प्रतिवर्ष करीब 650 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न करता है। किसानों द्वारा अधिक फसल पैदा करने की प्रतिस्पर्धा के चलते फसल अवशेषों को अपशिष्ट मानकर त्वरित निपटान के लिए जला देना आम बात हो गई है। जबकि फसल अवशेष जलाने से ना केवल महत्वपूर्ण बायोमास का नुकसान होता है बल्कि यह प्रदूषण वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फसल अवशेष दहन से मृदा की उर्वरता भी कम हो रही है एवं मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

प्रेस नोट

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

Date- 06.07.2024

किसान बहुत कम लागत में मधुमक्खी पालन कर ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकता है- डॉ डी.पी.एब्रोल, मधुमक्खी वैज्ञानिक

एसकेआरएयू में भारत के सतत आर्थिक विकास में मधुमक्खी पालन की भूमिका, चुनौतियां और अवसर विषय पर व्याख्यान का आयोजन

बीकानेर, 06 जुलाई। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान (आईएबीएम) में "भारत के सतत आर्थिक विकास में मधुमक्खी पालन की भूमिका, चुनौतियां और अवसर" विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कृषि महाविद्यालय बीकानेर के कीट विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में देश के प्रमुख मधुमक्खी वैज्ञानिक व शेर ए कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जम्मू के निवर्तमान अधिष्ठाता प्रो. डी.पी. एब्रोल ने इस विषय पर व्याख्यान दिया। व्याख्यान में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉ अरुण कुमार, समस्त अधिष्ठाता, संकाय शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

डॉ एब्रोल ने अपने व्याख्यान में बताया कि मधुमक्खी पालन न सिर्फ विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। साथ ही इससे किसानों को बेहद कम लागत में ज्यादा आमदनी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि शहद उत्पादन में भारत का स्थान सातवां है। लेकिन देश में इसका उपभोग मात्र 0.05 ग्राम प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष है। शहद के गुणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि इसके सेवन से ना सिर्फ हमें ऊर्जा मिलती है। बल्कि कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर को मिल जाते हैं। जिससे हमारे शरीर की रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है।

डॉ एब्रोल ने अपने व्याख्यान में देश के सतत आर्थिक विकास में मधुमक्खी पालन की भूमिका व विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों को रेखांकित किया। इनके व्याख्यान के उपरान्त इस विषय पर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने पश्चिमी राजस्थान में मधुमक्खी पालन की संभावनाओं, मोबाइल टावर का मधुमक्खियों की दैनिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव व शहद के डिब्बे में तले पर जमने के गुण इत्यादि पर चर्चा की। इस पर डॉ एब्रोल ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में स्थानांतरण प्रकार के मधुमक्खी पालन की संभावना है। साथ ही बताया कि मोबाइल टावर की तरंगों से मधुमक्खियों के दैनिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शहद के नीचे जमने को लेकर बताया कि सरसों के शहद में तले पर जमने का गुण पाया जाता है। जो सामान्य जल से गर्म करके दूर किया जा सकता है।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरुण कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग की मधुमक्खी पालन पर बी बोर्ड, भारत सरकार में परियोजना विचाराधीन है। जिससे इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के विभिन्न आयामों पर शोध किया जा सकेगा। इससे पूर्व कीट विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ एच.एल.देशवा ने स्वागत उद्बोधन दिया। निदेशक छात्र कल्याण डॉ वीर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉ वी.एस. आचार्य ने मंच संचालन ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, वैज्ञानिक, विद्यार्थियों व प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया।

एसकेआरएयू वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" को अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी मिला डिजाइन पेटेंट

इससे पहले यूके से मिला था "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" मशीन को डिजाइन पेटेंट

किसान अब अपने खेत में कम लागत से कर पाएंगे फसल अवशेष प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण से भी मिलेगी राहत

हिंदुस्तान से रूबरू

बीकानेर(सुरेश जैन) स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन



पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमीत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ.अरुण कुमार एवं डॉ.पी. के. यादव को

ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एसकेआरएयू को बाजारा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफ़ी महंगी हैं। लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। लिहाजा कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अब पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी। कृषि महाविद्यालय

अधिष्ठाता डॉ पीके यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन लम्बे समय से देश में ज्वलंत समस्या बनी हुई है। जिसका विभिन्न प्रयासों के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेहद कम कीमत पर निर्मित मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है। सह आचार्य डॉ वाई.के.सिंह ने बताया कि खुशी की बात है कि यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के कुछ ही समय बाद ही भारत सरकार ने भी डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) प्रदान कर दिया है। उन्होने मशीन के कार्य करने को लेकर बताया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है। जो जैविक खाद में परिवर्तित होकर फसलों को आवश्यक पोषक तत्व

उपलब्ध कराता है। सहायक आचार्य डॉ मनमीत कौर ने बताया कि कुलपति डॉ अरुण कुमार की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में विश्वविद्यालय को यूके और भारत सरकार से ये डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिला है। साथ ही बताया कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत प्रतिवर्ष करीब 650 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न करता है। किसानों द्वारा अधिक फसल पैदा करने की प्रतिस्पर्धा के चलते फसल अवशेषों को अपशिष्ट मानकर त्वरित निपटान के लिए जला देना आम बात हो गई है। जबकि फसल अवशेष जलाने से ना केवल महत्वपूर्ण बायोमास का नुकसान होता है बल्कि यह प्रदूषण वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फसल अवशेष दहन से मृदा की उर्वरता भी कम हो रही है एवं मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

पहले यूके से मिला था मशीन को डिजाइन पेटेंट एसकेआरएयू की फसल अवशेष प्रबंधन मशीन को मिला देश में भी पेटेंट

किसान अब कम लागत से कर पाएंगे फसल अवशेष प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण से भी रहत

बीकानेर, (निसं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमीत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. पी. के. यादव को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही

एसकेआरएयू को बाजरा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था। कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं।

लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। लिहाजा कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अब पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी। कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. पीके यादव ने बताया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है। जो जैविक खाद में परिवर्तित होकर फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

डीएलबी निदेशक के निर्देशों के

कृषि विवि के वैज्ञानिकों को डिजाइन पेटेंट मिला

बीकानेर, 6 जुलाई (निसं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमीत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. पी. के. यादव को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एस्केआरएयू को बाजरा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था। कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं। लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

एसकेआरएयू वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर को अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी मिला डिजाइन पेटेंट

इससे पहले यूके से मिला था स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन को डिजाइन पेटेंट

बीकानेर नगरीय संवाददाता

बीकानेर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन -स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर- पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमीत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. पी. के. यादव को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एसकेआरएयू को बाजरा बिस्कट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था।

कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन -स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर- पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं। लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन -स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर- मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। लिहाजा कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अब पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के

प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी।

कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ पीके यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन लम्बे समय से देश में ज्वलंत समस्या बनी हुई है। जिसका विभिन्न प्रयासों के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेहद कम कीमत पर निर्मित मशीन -स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर- आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है।

सह आचार्य डॉ वाई.के.सिंह ने बताया कि खुशी की बात है कि यूके (यूनाइटेड

किंगडम) से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के कुछ ही समय बाद ही भारत सरकार ने भी डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) प्रदान कर दिया है। उन्होंने मशीन के कार्य करने को लेकर बताया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है। जो जैविक खाद में परिवर्तित होकर फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

सहायक आचार्य डॉ मनमीत कौर ने बताया कि कुलपति डॉ अरुण कुमार की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में विश्वविद्यालय को यूके और भारत सरकार से ये डिजाइन पंजीकरण

(डिजाइन पेटेंट) मिला है। साथ ही बताया कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत प्रतिवर्ष करीब 650 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न करता है। किसानों द्वारा अधिक फसल पैदा करने की प्रतिस्पर्धा के चलते फसल अवशेषों को अपशिष्ट मानकर त्वरित निपटान के लिए जला देना आम बात हो गई है। जबकि फसल अवशेष जलाने से ना केवल महत्वपूर्ण बायोमास का नुकसान होता है बल्कि यह प्रदूषण वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फसल अवशेष दहन से मृदा की उर्वरता भी कम हो रही है एवं मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

एसकेआरएयूमशीन 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' को मिला डिजाइन पेटेंट

बीकानेर (निष्पक्ष कलम)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमीत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. पी. के. यादव को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है।

विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एसकेआरएयू को बाजरा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था।

कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी

डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं।

लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अब पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी।

कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. पी. के. यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन लम्बे समय से देश में ज्वलंत समस्या बनी हुई है। जिसका विभिन्न प्रयासों के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेहद कम कीमत पर निर्मित मशीन स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है।

सकेआरएयू वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' को अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी मिला डिजाइन पेटेंट

इससे पहले यूके से मिला था 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' मशीन को डिजाइन पेटेंट

किसान अब अपने खेत में कम लागत से कर पाएंगे फसल अवशेष प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण से भी मिलेगी राहत

प्रशान्त ज्योति न्यूज

ब्रीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ. मनमोत कौर, डॉ. वाई. के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. पी. के. यादव

को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एसकेआरएयू को बाजरा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट मिला था। कुलपति डॉ अरुण कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं। लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' मशीन उनसे करीब चार

गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी। लिहाजा कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अब पराली एवं अन्य फसल अवशेषों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएगी।

कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ पीके यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन लम्बे समय से देश में ज्वलंत समस्या बनी हुई है। जिसका विभिन्न प्रयासों के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बेहद कम कीमत पर निर्मित मशीन 'स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर' आने वाले समय में फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव ला सकती है।

सह आचार्य डॉ वाई.के.सिंह ने बताया कि खुशी की बात है कि यूके

(यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के कुछ ही समय बाद ही भारत सरकार ने भी डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) प्रदान कर दिया है। उन्होंने मशीन के कार्य करने को लेकर बताया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष रह जाते हैं उसे ये मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है। जो जैविक खाद में परिवर्तित होकर फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।

सहायक आचार्य डॉ मनमोत कौर ने बताया कि कुलपति डॉ अरुण कुमार की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में विश्वविद्यालय को यूके और भारत सरकार से ये

डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिला है। साथ ही बताया कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत प्रतिवर्ष करीब 650 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न करता है। किसानों द्वारा अधिक फसल पैदा करने की प्रतिस्पर्धा के चलते फसल अवशेषों को अपशिष्ट मानकर त्वरित निपटान के लिए जला देना आम बात हो गई है। जबकि फसल अवशेष जलाने से ना केवल महत्वपूर्ण बायोमास का नुकसान होता है बल्कि यह प्रदूषण वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फसल अवशेष दहन से मृदा की उर्वरता भी कम हो रही है एवं मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

कृषि विवि: फसल अवशेष प्रबंधन मशीन को मिला डिजाइन पेटेंट

बीकानेर | स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" पर यूके (यूनाइटेड किंगडम) से डिजाइन पेटेंट मिलने के बाद अब पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से भी डिजाइन पेटेंट मिल गया है। कृषि विश्वविद्यालय की डॉ.मनमीत कौर, डॉ.वाई.के. सिंह, सुश्री शौर्या सिंह, डॉ.अरुण कुमार एवं डॉ.पी.के. यादव को ये डिजाइन पेटेंट दिया गया है। विदित है कि इससे पूर्व पिछले वर्ष ही एस्केआरएयू को बाजरा बिस्किट समिश्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी

से पेटेंट मिला था। कुलपति डॉ.अरुण कुमार ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" पर यूके से डिजाइन पंजीकरण (डिजाइन पेटेंट) मिलने के बाद भारत में भी डिजाइन पेटेंट मिला है। कुलपति ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वर्तमान में जो मशीनें हैं वे सब्सिडी के बाद भी काफी महंगी हैं। लिहाजा आम किसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन "स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर" मशीन उनसे करीब चार गुना कम कीमत पर ही उपलब्ध हो सकेगी।